

पत्रांक-05/बी02-35/2011
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

सरवर्णन एम०,
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक/

विषय :- प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नगर परिषद् में नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में गैरयोजना अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड संख्या-एन 2202011920001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल राशि रू० 7,01,92,978/- (सात करोड़ एक लाख बेरानवे हजार नौ सौ अठहत्तर रू०) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009 एवं 326 दिनांक-02-04-14 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-11 दिनांक-01.07.2014 के आलोक में आवंटित है।
5. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-11 दिनांक-01.07.2014 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायगी।
6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
11. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
13. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(सरवणन एम0),

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक:- 75

पटना, दिनांक:- 7/7/14

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक, प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 (सरवणन एम0),
 निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)
 पटना

माँग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01- प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड-एन 2202011920001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर परिषद में नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रमांक	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	औरंगाबाद	0	1646755	1646755
2	भागलपुर	0	1605586	1605586
3	पूर्वी चम्पारण	0	4116888	4116888
4	गोपालगंज	0	2470133	2470133
5	जहानाबाद	0	4116888	4116888
6	कैमूर	0	1235066	1235066
7	खगड़िया	0	1646755	1646755
8	किशनगंज	0	7369230	7369230
9	मधुबनी	0	1523249	1523249
10	मुंगेर	0	1152729	1152729
11	पटना	0	6792866	6792866
12	समस्तीपुर	0	4116888	4116888
13	सारण	0	12762389	12762389
14	सिवान	0	3705199	3705199
15	सीतामढ़ी	0	1646755	1646755
16	वैशाली	0	7204554	7204554
17	प० चम्पारण	0	6587021	6587021
18	नालन्दा	0	494027	494027
कुलयोग		0	70192978	70192978

कुल (सात करोड़ एक लाख बेरानवें हजार नौ सौ अठहत्तर) रुपये मात्र। 2

05/07/2014
 (सिवणन एम०)
 निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)।
 5/7/14



प्रेषक,

सरवणन एम०
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
संलग्न विवरणी अनुसार।


पटना, दिनांक /

विषय :- प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नगर पंचायत में नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में गैरयोजना अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्यों को सहायता, उप शीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन विपत्र कोड संख्या-एन 2202011930001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल राशि रू० 9,53,50,466/- (नौ करोड़ तीरपन लाख पचास हजार चार सौ छियासठ रू०) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009 एवं 326 दिनांक-02-04-14 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 के आलोक में आवंटित है।
5. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायगी।
6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।



10. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
11. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
13. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,
ह0/-


(सरवणन एम0),

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक:- 31/3/14

ज्ञापांक:- 76


प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक, प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(सरवणन एम0),
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)
4/7/14

मॉग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01- प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्यों को सहायता, उपशीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड-एन 2202011930001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर पंचायतों शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रमांक	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	औरंगाबाद	0	4811630	4811630
2	भागलपुर	0	2606299	2606299
3	पूर्वी चम्पारण	0	14835858	14835858
4	गोपालगंज	0	7016960	7016960
5	जमुई	0	3608722	3608722
6	जहानाबाद	0	2004846	2004846
7	किशनगंज	0	5613568	5613568
8	मुंगेर	0	120291	120291
9	मुजफ्फरपुर	0	1964749	1964749
10	नालन्दा	0	641551	641551
11	पटना	0	6696185	6696185
12	रोहतास	0	641551	641551
13	समस्तीपुर	0	5092308	5092308
14	सारण	0	16840708	16840708
15	सिवान	0	3127559	3127559
16	सुपौल	0	2606299	2606299
17	गया	0	2405815	2405815
18	मधुबनी	0	2686493	2686493
19	सीतामढ़ी	0	5012114	5012114
20	वैशाली	0	4811630	4811630
21	प० चम्पारण	0	2205330	2205330
कुलयोग		0	95350466	95350466

कुल (नौ करोड़ तीरपन लाख पचास हजार चार सौ छियासठ) रुपये मात्र।


 (सरवणन एम०)
 निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।
 20/11/2014



पत्रांक-05/बी02-35/2011
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

सरवर्णन एम०,
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर
नालन्दा, पटना एवं पूर्णिया।

पटना, दिनांक

विषय :- प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत नगर निगम में नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में गैरयोजना अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन विपत्र कोड संख्या-एन 2202011910001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल राशि रू0 4,95,55,044/- (चार करोड़ पंचानवे लाख पचपन हजार चौवालीस रू0) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, एवं 326 दिनांक-02-04-14 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 के आलोक में आवंटित है।
- इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायगी।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।



10. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
11. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
13. मितव्ययिता अवश्य बरतें-12

विश्वासभाजन,

ह0/-


(सरवणन एम0),

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक:- 2/3/14

ज्ञापांक:- 78


प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक, प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित-12


 (सरवणन एम0),
 निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)
 पटना

माँग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01- प्रारम्भिक शिक्षा, लघुशीर्ष-191- नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड-एन 2202011910001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रमांक	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	भागलपुर	0	5119488	5119488
2	दरभंगा	0	8399160	8399160
3	गया	0	5399460	5399460
4	मुंगेर	0	2399760	2399760
5	मुजफ्फरपुर	0	4879512	4879512
6	नालन्दा	0	1159884	1159884
7	पटना	0	19598040	19598040
8	पूर्णियाँ	0	2599740	2599740
कुलयोग		0	49555044	49555044

कुल (चार करोड़ पंचानवे लाख पचपन हजार चौवालीस) रुपये मात्र।


 (सरवर्णन एम०)
 निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)।
 05/05/2014
 प्राथमिक



पत्रांक-05/बी02-35/2011
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

सरवर्णन एम०,
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक


विषय :-

प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत प्रखंड में नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में गैरयोजना अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, उप शीर्ष-0002-प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन विपत्र कोड संख्या-एन 2202011970002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल राशि रु० 2,13,03,46,943/- (दो अरब तेरह करोड़ तीन लाख छियालीस हजार नौ सौ तैतालीस रु०) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009 एवं 326 दिनांक-02-04-14 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 के आलोक में आवंटित है।
- इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायगी।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।



10. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
11. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
13. मितव्ययिता अवश्य बरतें।✓

विश्वासभाजन,

ह0/-


(सरवणन एम0),

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक:- ३३

पटना, दिनांक:- ३१/३/१५


प्रतिलिपि:-सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक, प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।✓


05/03/15
(सरवणन एम0),
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)
पटना

मॉग संख्या-21, मुख्यश्रीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य श्रीर्ष-01- प्रारम्भिक शिक्षा, लघुश्रीर्ष-197- ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, उपश्रीर्ष-0002-प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु, विषय श्रीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड-एन 2202011970002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रखंड शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी :-

क्रमांक	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	अररिया	0	16429244	16429244
2	अरवल	0	28170142	28170142
3	औरंगाबाद	0	30213780	30213780
4	बांका	0	22039229	22039229
5	बेगूसराय	0	45280598	45280598
6	भागलपुर	0	26046362	26046362
7	भोजपुर	0	62511268	62511268
8	बक्सर	0	22039229	22039229
9	दरभंगा	0	134639655	134639655
10	पूर्वी चम्पारण	0	81745505	81745505
11	गया	0	36865620	36865620
12	गोपालगंज	0	44479172	44479172
13	जमुई	0	34862053	34862053
14	जहानाबाद	0	41674179	41674179
15	कैमूर	0	35663480	35663480
16	कटिहार	0	81665362	81665362
17	खगड़िया	0	122618257	122618257
18	किशनगंज	0	63633265	63633265
19	लखीसराय	0	15106890	15106890
20	मधेपुरा	0	38468473	38468473
21	मधुबनी	0	72849670	72849670
22	मुंगेर	0	17030313	17030313
23	मुजफ्फरपुर	0	189171708	189171708
24	नालन्दा	0	70966318	70966318
25	नवादा	0	18032097	18032097
26	पटना	0	92965476	92965476
27	पुर्णिया	0	28049928	28049928
28	रोहतास	0	20035663	20035663
29	सहरसा	0	68441824	68441824
30	रामस्तीपुर	0	72128386	72128386
31	सारण	0	98575461	98575461
32	शेखपुरा	0	16028530	16028530
33	शिवहर	0	25645649	25645649
34	सीतामढ़ी	0	69523750	69523750
35	शिवान	0	84149784	84149784
36	सुपौल	0	53294863	53294863
37	वैशाली	0	42275249	42275249
38	पश्चिम चम्पारण	0	107030511	107030511
	कुलयोग	0	2130346943	2130346943

कुल (दो अरब तेरह करोड़ तीन लाख छियालीस हजार नौ सौ तैतालीस) रुपये मात्र।


 (संरक्षण प्रमो) 2014
 निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)।
 2014



पत्रांक-05 / बी02-35 / 2011
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

सरवणन एम०,
निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)
किशनगंज

पटना, दिनांक


विषय :- प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत पंचायत में नियोजित शिक्षकों के नियत वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में गैरयोजना अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता, उप शीर्ष-0002-पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु, विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान-वेतन विपत्र कोड संख्या-एन 2202011980002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल राशि रू0 2,59,97,400/- (दो करोड़ उनसठ लाख सतनावे हज़ार चार सौ रू0) मात्र आपको आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009 एवं 326 दिनांक-02-04-14 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 के आलोक में आवंटित है।
5. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-11, दिनांक-01.07.2014 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायगी।
6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

प्रभा



10. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
11. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
12. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
13. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(सरवणन एम0).

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा).

ज्ञापांक:- ७९

पटना, दिनांक:- ३१/३/१५

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक, प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधी प्रेषित।


 05/03/2015
 (सरवणन एम0).
 निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)
 बिहार